संख्या– पी–92/84–2–2019–800(64)/2019

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव,
उ0प्र0 षासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 **लखनऊः दिनांक 09 जुलाई, 2019**

विषय– जनपद–झांसी में झांसी–बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–26 के किमी0 सं0 3 से 11 तक झांसी हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनों पटरी पर चौड़ीकरण/चार लेन में प्रभावित 14.80 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2440/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/39827/2019 , दिनांक 24.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। जिसके माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत कतिपय बिन्दुओं पर अनियमितता/कमियां पायी गयी, जो निम्नवत हैः–

(1) प्रस्ताव के पृष्ठ–2 पर रक्षित परियोजना की स्वीकृति में झांसी–बबीना मार्ग (अन्य जिला मार्ग) किमी0 01 से 11 अंकित है, जबकि प्रस्ताव में किमी0 3 से 11किमी0 तक ही गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तावित है। जिसमें विरोधाभास है।

(2) प्रस्ताव के पृष्ठ–94 पर रक्षित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाण पत्र में किमी0 4 से किमी0 11 तक अंकित है, जबकि प्रस्ताव में किमी0 3 से किमी0 11 मार्ग चौड़ीकरण प्रस्तावित है। जिसमें विरोधाभास है।

(3) प्रस्ताव के पृष्ठ–36 पर रक्षित प्रमाण पत्र में परियोजना में किमी0 6 से 8 के मध्य लगभग 1.70 किमी0 लम्बाई एवं 6 मी0 चौड़ाई में बिना अनुमति प्राप्त किये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य किया गया है, जिस कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लंघन पाया गया है।

उक्त उल्लंघन 1.02 हे0 के क्षेत्र में किया गया है, जिसकी अवधि 2.5 वर्ष अर्थात 30 माह है। भारत सरकार के दिषा–निर्देष दिनांक 29–01–2018 के आलोक में सम्बंधित कार्मिक/प्रयोक्ता के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु जांच अधिकारी की आख्या उपलब्ध करायी जाये के क्रम में 30 माह तक किये गये उल्लंघन में असफल

PC.DATA D.K.P.